[29/12/2020]

प्रश्न सं. [क्र. 705]

वि.स. (सत्र दिसम्बर-2020)
अतारांकित प्र. क्र. 705

परिशिष्ट-

33

2199 कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला ब[illegible]
/S.W./वि.स./2020

बड़वानी [illegible] 2020

Commissioners Office [illegible]
INDORE [illegible]
21 DEC 2020

प्रति,

सचिव,
म.प्र. शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग,
मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल

विषय :- विधानसभा (सत्र दिसम्बर-2020) अतारांकित प्रश्न क्र 705 द्वारा माननीय विधायक श्री बाला बच्चन विधान सभा सदस्य द्वारा उठाये गये प्रश्न में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अशासकीय/निजी संस्थाओं के कार्यक्रम में लोकार्पण, शिलान्यास संबंधी।

संदर्भ :- आपका पत्र कमांक एफ 6-55/2020/1/4 भोपाल दिनांक 08.12.2020 एवं समसंख्यक पत्र दिनांक 18.12.2020

-0-

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्र 705 द्वारा माननीय विधायक श्री बाला बच्चन विधान सभा सदस्य द्वारा उठाये गये प्रश्न में बडवानी जिले में प्रोटोकाल का उल्लघन संबंधी संशोधित जानकारी निम्नानुसार प्रेषित है -

क्र	प्रश्न	उत्तर
क	दिनांक 27.11.2020 को बडवानी जिले के राजपुर विधान सभा क्षेत्र के ग्रामऊंची में माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम की आयोजक संस्था का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर सहित देवें।	जनजाति कार्य विभाग द्वारा।
ख	- क्या यह कार्यक्रम शासकीय था? - यदि हां तो प्रश्नकर्ता को व जिले के अन्य विधायकों तथा अध्यक्ष जिला पंचायत बडवानी को आमंत्रित क्यों नही किया गया? - यदि नही तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अशासकीय कार्यक्रम में लोकार्पण व शिलान्यास कैसे किए? इससे संबंधित नियम की प्रमाणित प्रति देवें।	- हाँ - माननीय मुख्यमंत्री महोदय म.प्र.शासन का ग्राम ऊंची तहसील राजपुर में दिनांक 27.11.2020 को आयोजित कार्यक्रम जनजाति विभाग की और से आयोजित किया गया था, सहायक आयुक्त जनजाति विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार उनके द्वारा कोई आमंत्रण कार्ड नहीं छपवाये गये है, जिले के सभी जनप्रतिनिधियों को मौखिक रूप से आमंत्रित किया गया था। - प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।
ग	दिनांक 01.01.16 से 30.10.18 व दिनांक 25.03.2020 से 30.11.2020 तक माननीय मुख्यमंत्री जी ने इन्दौर संभाग अंतर्गत ऐसे कितनी अशासकीय /निजी संस्थाओं के कार्यक्रम में लोकार्पण, शिलान्यास किये? सस्था नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर स्थान, नाम, कार्य नाम सहित वर्षवार देवें।	शासन से संबंधित हैं।
घ	प्रश्न (ख) अनुसार प्रोटोकॉल उल्लंघन के इस प्रकरण पर शासन कब तक कार्यवाही करेगा?	प्रश्नांश (ख) के अनुपालम में प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

कलेक्टर एवं
जिला दण्डाधिकारी,
जिला बड़वानी (म.प्र)

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

(34)

पृ.क्र./12200/S.W./2020 बड़वानी दिनांक 18/12/2020

प्रतिलिपि –

1– आयुक्त इन्दौर संभाग इन्दौर की ओर सूचनार्थ ।
2– प्रभारी अधिकारी वि.स. सेल. कलक्ट्रोरेट बडवानी की ओर पंजी से कम करने बाबद ।
3– अधीक्षक भू–अभिलेख शाखा बडवानी की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

कलेक्टर एवं
जिला दण्डाधिकारी,
जिला बड़वानी (म.प्र)